भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4502
दिनांक 19.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

आंध्र प्रदेश में जल संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन

4502. श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में जिला-वार, विशेषकर कोणसीमा जिले में कार्यान्वित मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों/पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में प्रत्येक योजना के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की वर्ष-वार, योजना-वार और जिला-वार, विशेषकर कोणसीमा जिले की संख्या कितनी है;
(ग) आंध्र प्रदेश में नल के पानी के कनेक्शन और स्वच्छ पेयजल कवरेज प्रदान किए गए परिवारों की जिला-वार, विशेषकर कोणसीमा जिले की संख्या कितनी है,
(घ) आंध्र प्रदेश में स्वीकृत या कार्यान्वयनाधीन सिंचाई, जल संसाधन और नदी विकास परियोजनाओं का जिला-वार, विशेषकर कोणसीमा जिले का ब्यौरा क्या है;
(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में उक्त योजनाओं के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(च) आंध्र प्रदेश में जल गुणवत्ता परीक्षण, भू-जल प्रबंधन और स्वच्छता उपायों की जिला-वार, विशेषकर कोणसीमा जिले में वर्तमान स्थिति क्या है; और
(छ) क्या सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश, विशेषकर कोणसीमा जिले के लिए कोई नई परियोजनाएं या पहले प्रस्तावित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (छ): अगस्त 2019 से, भारत सरकार, राज्यों की भागीदारी से, प्रत्येक ग्रामीण परिवार में नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है। जल राज्य का विषय है और इसलिए, प्रासंगिक परिवारों को नल जल उपलब्ध कराने के लिए पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं की आयोजना निर्माण और उन्हें कार्यान्वित

करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। भारत सरकार जेजेएम के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मिशन की शुरुआत में, केवल 30.74 लाख (32.18%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। 17.03.2026 तक, आंध्र प्रदेश में 95.53 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 71.84 लाख (75.20%) ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। कोणसीमा जिले सहित जिला-वार नल जल कनेक्शन और सुरक्षित पेयजल कवरेज प्रदान किए गए परिवारों की संख्या निम्नलिखित यूआरएल पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMState.aspx.

जेजेएम के तहत, यह विभाग केवल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राशि जारी करता है। इसके अलावा, जिला-वार निधि आबंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है और उन्हीं के द्वारा अनुरक्षित किया जाता है न कि इस विभाग द्वारा। जेजेएम के तहत आवंटित केंद्रीय निधि और आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा आहरित निधि का विवरण इस प्रकार है:

करोड़ रुपये में

क्र. सं.	वर्ष	केंद्रीय हिस्सा					राज्य व्यय
		अथ शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	व्यय	
1	2022-23	712.13	3,458.20	-	712.13	304.71	98.38
2	2023-24	407.42	6,530.49	793.57	1,200.99	861.11	939.08
3	2024-25	339.88	2,520.97	70.00	409.88	375.65	597.87
4	2025-26	34.24	-	-	34.24	0.01	103.63

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

जेजेएम के अंतर्गत, पेयजल हेतु जल गुणवत्ता के लिए जल के नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट, नमूनों के संग्रहण आदि सहित जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सक्षम बनाने हेतु, एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल भी विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है: **https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report.** 2025-26 के दौरान जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर आंध्र प्रदेश द्वारा रिपोर्ट किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का जिला-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

स्वच्छता के संबंध में, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II [एसबीएम (जी)-चरण II] को देश में 2020-21 से 2026-27 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें खुले में शौच

मुक्त (ओडीएफ) स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है और सभी गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है अर्थात् गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस (मॉडल) में परिवर्तित किया जा रहा है। एसबीएम (जी) की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 17.03.2026 तक आंध्र प्रदेश में 12071 (75.5%) गांवों को ओडीएफ प्लस (मॉडल) के रूप में घोषित किया गया है। जिला-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) आंध्र प्रदेश सहित पूरे भारत में भूजल प्रबंधन और विनियमन स्कीम कार्यान्वित करता है। राज्यों को सीधे निधियां जारी करने के बजाय, बजट का प्रबंधन हैदराबाद में सीजीडब्ल्यूबी दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय द्वारा किया जाता है। नतीजतन, कोणसीमा जैसे क्षेत्रों के लिए विशिष्ट जिला-वार वित्तीय आंकडे अलग से नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त कार्य संचालनों की देखरेख करता है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने 2015 में "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)" शुरू की। पीएमकेएसवाई का उद्देश्य कृषि जल उपलब्धता और दक्षता में सुधार करना है। इसके हर खेत को पानी घटक में सतही लघु सिंचाई और जल निकाय बहाली शामिल है। 2026 तक विस्तारित इस योजना को जनवरी 2025 में 4.50 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए 900 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुआ। पिछले तीन वर्षों से पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत आंध्र प्रदेश को पश्चिम बंगाल के आरआरआर के लिए जारी केंद्रीय सहायता का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है**।** तथापि, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कोणसीमा जिले की जल निकाय स्कीम की कोई सतही लघु सिंचाई (एसएमआई)/आरआरआर प्रस्तावित नहीं है।

जीडब्ल्यूएमआर योजना के तहत, एनएक्यूयूआईएम कार्यक्रम ने आंध्र प्रदेश में 1.41 लाख वर्ग किमी का मानचित्रण किया है, जिसमें कोणसीमा जिले का पूरा 2,080 वर्ग किमी शामिल है। कोणसीमा के लिए प्रबंधन योजनाएं संयुक्त जल उपयोग, समुद्री जल घुसपैठ को नियंत्रित करने और पंपिंग को विनियमित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। जीडब्ल्यूआरए-2025 के अनुसार, आंध्र प्रदेश का वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल 25.02 बीसीएम है, जिसमें 31.51% निष्कर्षण स्तर है। कोणसीमा में, निष्कर्षण 10.51% (10,753.36 एचएएम) पर कम रहता है। निरंतरता हेतु सहायता के लिए, 2020 मास्टर प्लान राज्य भर में 15,948 एमसीएम की पुनर्भरण क्षमता का चिह्नित् करता है। 280 टेलीमेट्री-लिंक्ड डिजिटल रिकॉर्डर के माध्यम से निगरानी वास्तविक समय डेटा प्रदान करती है। गुणवत्ता विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य के 8.99% नमूनों में फ्लोराइड सीमा से अधिक हैं, 24.23% नमूनों में नाइट्रेट सीमा से अधिक हैं, और 9.78% नमूने उच्च लवणता दर्शाते हैं।

अनुबंध-I

दिनांक 19.03.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4502 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2025-26 के दौरान जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर आंध्र प्रदेश द्वारा रिपोर्ट किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का जिला-वार विवरण

16.03.2026 तक

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रयोगशालाओं में जांचे गए नमूनों की संख्या	एफटीके के उपयोग से परीक्षण
1	अल्लूरी सीतारमा राजू	33209	27735
2	अनकापल्ली	22293	14217
3	अनंतपुरमु	20660	6457
4	अन्नमय्या	40004	38117
5	बापतला	18868	7522
6	चित्तूर	45776	2391
7	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोणसीमा	11693	2660
8	पूर्वी गोदावरी	18535	4194
9	एलुरु	48734	4978
10	गुंटूर	13400	795
11	काकीनाडा	13616	3242
12	कृष्ण	34987	3850
13	कुरनूल	15926	7615
14	नांदयाल	23387	5029
15	एनटीआर	27851	2431
16	पलनाडु	34691	1098
17	पार्वतीपुरम मान्यम	17765	25899
18	प्रकाशम	31756	12508
19	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	38780	21725
20	श्री सत्य साई	33538	2124
21	श्रीकाकुलम	29906	2058
22	तिरुपति	43269	21491
23	विशाखापत्तनम	3141	3252
24	विजयनगरम	22326	53890
25	पश्चिम गोदावरी	15555	2803
26	वाई.एस.आर.	24569	62249
कुल		**684235**	**340330**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

अनुबंध-II

दिनांक 19.03.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4502 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

18-3-2026 तक एसबीएम (जी) के आईएमआईएस के अनुसार आंध्र प्रदेश में घोषित ओडीएफ प्लस (मॉडल) गांवों की संख्या

क्र. सं.	जिला	गांवों की कुल संख्या	कुल ओडीएफ प्लस मॉडल गांव*	ओडीएफ प्लस मॉडल गांव का %
1	अल्लूरी सीतारमा राजू	2,875	813	28.3
2	अनकापल्ली	669	346	51.7
3	अनंतपुरमु	494	494	100.0
4	अन्नमय्या	439	439	100.0
5	बापतला	265	253	95.5
6	चित्तूर	759	688	90.6
7	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा	315	289	91.7
8	पूर्वी गोदावरी	258	258	100.0
9	एलुरु	627	627	100.0
10	गुंटूर	187	171	91.4
11	काकीनाडा	389	315	81.0
12	कृष्ण	478	476	99.6
13	कुरनूल	439	439	100.0
14	नांदयाल	427	427	100.0
15	एनटीआर	277	277	100.0
16	पलनाडु	334	334	100.0
17	पार्वतीपुरम मन्यम	897	442	49.3
18	प्रकाशम	748	748	100.0
19	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	683	526	77.0
20	श्री सत्य साई	424	424	100.0
21	श्रीकाकुलम	1,247	899	72.1
22	तिरुपति	908	609	67.1
23	विशाखापत्तनम	79	79	100.0
24	विजयनगरम	926	847	91.5
25	पश्चिम गोदावरी	269	269	100.0
26	वाई.एस.आर.	582	582	100.0
कुल:-		**15,995**	**12,071**	**75.5**

*आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार

अनुबंध-III

दिनांक 19.03.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4502 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत अनुमोदित आंध्र प्रदेश की डब्ल्यूबी योजनाओं के आरआरआर का विवरण

(सीए करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना	शामिल जिले	योजनाओं की संख्या	समावेशन वर्ष	अनुमानित लागत	पात्र सीए	जारी सीए				टिप्पणी
							मार्च 2023 तक	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	*वित्त वर्ष 2025-26	
1	100 आरआरआर	प्रकाशम (100)	100	2018-19	66.77	40.06	2.70	0.00	0.00	4.50	जारी
2	135 आरआरआर	अनंतपुर (33), नेल्लोर (80), प्रकाशम (22)	135	2021-22	70.72	42.42	0.00	0.00	0.00	4.50	जारी

**मुख्य स्वीकृति*